

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक : प. 7 (4) अकाद/ आकाशि/ प्रवेश नीति /2020-21/ 997

दिनांक : 25.6.2020


समस्त

प्राचार्य, राजकीय/निजी महाविद्यालय,
राजस्थान ।

विषय :- राज्य सरकार द्वारा अकादमी सत्र 2020-21 के लिए निर्धारित प्रवेश नीति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रवेश नीति एवं प्रवेश प्रक्रिया, केन्द्र एवं राज्य सरकार एडवाइजरी कोविड-19 के मध्यनजर अकादमी सत्र 2020-21 की प्रवेश नीति आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर की वेबसाईट पर अपलोड कर दी गई, जिसे वेबसाईट से डाउनलोड कर महाविद्यालय में प्रवेश कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित करें।



(प्रदीप कुमार बोरड)

आयुक्त,

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प. 7 (4) अकाद/ आकाशि/ प्रवेश नीति /2020-21/

दिनांक :

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर/ अजमेर/ कोटा/ बीकानेर/ जोधपुर / उदयपुर ।
2. वेब प्रभारी अधिकारी आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर।



(डा० दीपक मेहरा)

संयुक्त निदेशक, अकादमिक



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
प्रवेश नीति 2020-21

(राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों के लिए)



आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर।

शैक्षणिक सत्र सारिणी 2020-21

क्र.सं.	महाविद्यालय	कार्य का विवरण	समयावधि
1.	समस्त राजकीय महाविद्यालय	स्नातक पार्ट द्वितीय, तृतीय तथा स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) के लिए प्रवेश नवीनीकरण	15.06.2020 से 30.06.2020
2.	सत्र 2019-20 में खोले गये 38 नवीन राजकीय महाविद्यालय	सत्र 2019-20 में प्रवेशित स्नातक पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों का डाटा ऑनलाईन प्रवेश मॉड्यूल में अद्यतन करना तथा सत्र 2020-21 में स्नातक पार्ट प्रथम में प्रवेश के लिए मास्टर एन्ट्रीज पूर्ण करना।	05.06.2020 से 20.06.2020 तक
3.	समस्त राजकीय महाविद्यालय	स्नातक पार्ट द्वितीय, तृतीय तथा स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) में अध्यापन कार्य आरम्भ।	01.07.2020 (यह तिथि राज्य सरकार के आदेश के अनुसार लागू होगी।)

प्रवेश कार्यक्रम

(अ) स्नातक पार्ट प्रथम

क्र.सं.	विवरण	तिथि/अवधि
1	ऑन लाइन आवेदन-पत्र भरना प्रारम्भ होने की तिथि	केन्द्र एवं राज्य सरकार की एडवाइजरी कोविड-19 के मध्यमस्तर आयुक्तालय स्तर से तिथि बाद में जारी की जावेगी।
2	आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि, प्रारम्भ होने की तिथि से	15 दिवस
3	समस्त प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि	
4	प्रथम अन्तरिम प्रवेश सूची व आवश्यकतानुसार परीक्षा सूची का प्रकाशन। सूची के अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का स्थापन व शुल्क जमा करवाना। प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन आवश्यकतानुसार द्वितीय अन्तरिम प्रवेश सूची/परीक्षा सूची का प्रकाशन, आगे की प्रक्रियाएँ-	ऑनलाईन प्रक्रिया की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए आयुक्तालय से तिथियाँ जारी की जा सकेंगी।
5	संकल्प/विषय परिवर्तन की अंतिम तिथि-	अंतिम प्रवेश सूची से 15 दिवस में
6	महाविद्यालय में शिक्षण कार्य प्रारम्भ	पार्ट द्वितीय, तृतीय एवं उत्तरार्द्ध के क्रमोन्नत किये गये छात्रों की ऑनलाईन पंजीय 01-07-2020

स्थान निगत रहने की स्थिति में प्रवेश नीति के विन्दु 5.9 के अनुसार प्रक्रिया अर्पणाई जावेगी।

(ब) स्नातकोत्तर (पूर्वार्द्ध)

क्र.सं.	विवरण	तिथि/अवधि
1	ऑन लाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि	राजस्थान के प्रमुख विश्वविद्यालयों के परीक्षा परिणाम घोषित होने पर आयुक्तालय स्तर पर निर्धारित तिथि से
2	आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि, प्रारम्भ होने की तिथि से	सम्बद्धक विश्वविद्यालय की अईकारी (संबंधित संकाय) परीक्षा का परिणाम घोषित होने के 10 दिन बाद तक (जो भी बाद में हो)
3	प्रथम अन्तरिम प्रवेश सूची व आवश्यकतानुसार परीक्षा सूची का प्रकाशन। सूची के अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का स्थापन व शुल्क जमा करवाना। प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन आवश्यकतानुसार द्वितीय अन्तरिम प्रवेश सूची/परीक्षा सूची का प्रकाशन, आगे की प्रक्रियाएँ-	ऑनलाईन प्रक्रिया की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए आयुक्तालय स्तर पर तिथियाँ जारी की जा सकेंगी।
4	शिक्षण कार्य प्रारम्भ	प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची के प्रकाशन के अगले दिन से।